



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20102022-239751
CG-DL-E-20102022-239751

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4719]
No. 4719]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 19, 2022/आश्विन 27, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 19, 2022/ASVINA 27, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2022

का.आ. 4931(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.2745(अ), 15.06.2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तेलंगाना राज्य के खम्मम जिले में NH-365A के कि.मी. 10.1 से कि.मी. 31.8 (ऑफिस ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "23.06.2022 " को "माना तेलंगाना" और "हिन्दू" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के खम्मम जिले में NH-365A के कि.मी. 10.100 से कि.मी.31.800 (ऑफिस ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: तेलंगाना		जिले का नाम: खम्मम			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: खम्मम (रूरल)				
	गांव का नाम: गुडीमल्ला				
1	264	निजी	ड्राय	0.0657614	पेलुरी बाबू, पेलुरी उपेंद्र, पेलुरी येलैय्या, पेलुरी वेंकन्ना, पेलुरी धनमूर्ति, पेलुरी वेंकैया (264/6)
2	264	निजी	ड्राय	0.1289935	कदमंची रामास्वामी पुत्र संगप्पा (264/6)
3	264	निजी	ड्राय	0.0092451	सरकार भूमि (264/6)
4	265	निजी	ड्राय	0.1122	बैरू वेंकटेश्वरलू पुत्र गोपैया और बैरू लक्ष्मीपति पुत्र गोपैया (265/1)
5	297	निजी	ड्राय	0.0252929	बैरू रामाराव पुत्र लक्ष्मैया (297/2)
6	297	निजी	ड्राय	0.0053071	बैरू चंद्रशेखर पुत्र श्रीनिवासराम (297/2)
	तालुक का नाम: मुदिगोंदा				
	गांव का नाम: गोकिनापल्ले				
1	167	निजी	ड्राय	0.0404686	सागी रामा राव पुत्र बुचैय्या (167/3)
2	176	निजी	ड्राय	0.0101171	यारमनेनी शरथबाबू पुत्र नरसिम्हाराओ (176/1)

	गांव का नाम: मुदिगोंडा				
3	276	निजी	ड्राय	0.0303514	राबुलपति सत्यनारायण (276/2)
4	282	निजी	ड्राय	0.0429978	नैनी वेंकटेश्वरलु पुत्र भद्रैया (282/2)
5	337	निजी	ड्राय	0.0252929	कटकम रामबाबू पुत्र बुशैयाह (337/2)
6	363	निजी	ड्राय	0.0303514	बोडा वाल्या पुत्र श्री रंगम (363/2)
	गांव का नाम: सुवार्नापुरम				
7	326	निजी	ड्राय	0.0151757	मल्लिकांती वेंकटेश्वरलु पुत्र हनुमंत (326/1)
	तालुक का नाम: नेलकोंडपल्ली				
	गांव का नाम: बोडुलाबंदा				
1	666	निजी	ड्राय	0.0075879	नेल्लूरी रामचंद्र राव पुत्र वेंकटनायण (666/1)
2	778	निजी	ड्राय	0.0227636	तन्निरु श्रीनिवास राव पुत्र नरसिम्हा राव (778/1)
	गांव का नाम: गुव्वालागुडेम				
3	160	निजी	ड्राय	0.0303514	पलादुगु पुलैया पुत्र रमैया: (160/1)
	गांव का नाम: नेलकोंडपल्ली				
4	79	निजी	ड्राय	0.0202343	नगुलापल्ली सुशीला डब्ल्यू/ओ वेंकटेश्वराव (79/1)
			कुल	0.6224921	

[फा. सं. : NHAI/PIU-KMM/DPR/LA/2016/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2022

S.O. 4931(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.No.2745(E), 15th June, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-365A on the stretch of land

from Km 10.100 to Km 31.800 (Office of District Collector Khammam) in the district of KHAMMAM in the state of TELANGANA

And whereas the substance of the said notification has been published in “Mana Telangana” and “The Hindu” both dated 23.06.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-365A in the stretch of land from Km. 10.100 to Km. 31.800 NH-365A (Office of District Collector Khammam) in the district of KHAMMAM in the state of TELANGANA

State: TELANGANA			District: KHAMMAM		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
Taluk: Khammam (Rural)					
Village: Gudimalla					
1	264	Private	dry	0.0657614	Pelluri Babu, Pelluri Upender, Pelluri Yellaiah, Pelluri Venkanna, Pelluri Dhanamurthy, Pelluri Venkaiah 264/6
2	264	Private	dry	0.1289935	Kadamanchi Ramaswamy S/o Sangappa 264/6
3	264	Private	dry	0.0092451	Govt. Land 264/6
4	265	Private	dry	0.1122	Bairu Venkateswarlu S/o Gopaiah & Bairu Laxmipathi S/O Gopaiah 265/1
5	297	Private	dry	0.0252929	Bairu Ramarao S/o Laxmaiah 297/2
6	297	Private	dry	0.0053071	Bairu Chandrashekar S/o Srinivasarao 297/2
Taluk: Mudigonda					
Village: Gokinepalli					
1	167	Private	dry	0.0404686	Sagi Rama Rao S/o Buchaiah 167/3
2	176	Private	dry	0.0101171	Yaramaneni Sharathbabu S/o Narasimharao 176/1

	Village: Mudigonda				
3	276	Private	dry	0.0303514	Ravulapati Satyanarayana 276/2
4	282	Private	dry	0.0429978	Nayini Venkateswarlu S/o Bhadraiah 282/2
5	337	Private	dry	0.0252929	Katakam Rambabu S/o Bushaiah 337/2
6	363	Private	dry	0.0303514	Boda Valya S/o Sri Rangam 363/2
	Village: Suvrnapuram				
7	326	Private	dry	0.0151757	Mallikanti Venkateswarlu S/o Hanumanth 326/1
	Taluk: Nelakondapalle				
	Village: Bodulabanda				
1	666	Private	Dry	0.0075879	Nelluri Ramachandra Rao S/o Venkatanarayana 666/1
2	778	Private	dry	0.0227636	Tanniru Srinivasa Rao S/o Narasimha Rao 778/1
	Village: Guvvalagudem				
3	160	Private	dry	0.0303514	Paladugu Pullaiah S/o Ramaiah 160/1
	Village: Nelkondapally				
4	79	Private	dry	0.0202343	Nagulapalli Susheela W/o Venkateswarao 79/1
			TOTAL	0.6224921	

[F. No. NHAI/PIU-KMM/DPR/LA/2016/3D]

RAJESH GUPTA, Director